

आय-कर लगाने के उद्देश्य

(OBJECTS OF CHARGING INCOME-TAX)

प्रारम्भ में आय-कर लगाने का उद्देश्य उन आर्थिक हानियों की पूर्ति करना था जो सन् 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई थीं, किन्तु वर्तमान में इसे लागू करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होना है :

(1) **आय का स्थायी साधन**—सरकार को देश एवं जनहित में अनेक कार्य सम्पन्न करने होते हैं, जैसे, शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करना, देश में कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाये रखना, जनोपयोगी कार्य करना। इन सभी कार्यों के लिए सरकार को निरन्तर धन की आवश्यकता पड़ती है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आय-कर के द्वारा सरकार को प्राप्त होता है। आय के स्थायी व निरन्तर साधन बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार आय-कर लगाती है और वसूल करती है।

(2) **आर्थिक विषमताएँ दूर करना**—भारत सरकार का लक्ष्य है—देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना। यह तभी सम्भव है, जबकि देश में अमीरों व गरीबों के बीच की खाई को पाटा जा सके। आय-कर के माध्यम से सरकार अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में धीरे-धीरे सफलता प्राप्त कर रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आय-कर की खण्ड प्रणाली (Slab System) को लागू किया है।

(3) **बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहन**—सरकार द्वारा आय-कर अधिनियम में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं जो जनता को बचत करने व विनियोगों में वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपना, अपने जीवन-साथी (Spouse) या अपने बच्चों का जीवन बीमा कराता है अथवा कुछ निर्धारित योजनाओं में रकम जमा करता है, तो उसके द्वारा चुकाई गई रकम को सकल कुल आय में से अधिकतम ₹ 1,00,000/ ₹ 1,20,000 तक कम कर दिया जाता है जिससे उसकी कर-योग्य आय कम हो जाती है और कर-दायित्व भी कम होता है।

(4) **पूँजी निर्माण**—जब कोई व्यक्ति अपनी बचतों को विनियोगों के रूप में जमा करता है, तो इससे देश में पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है। सरकार इस धन को भी महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग करती है।

भारत में आय-कर का संक्षिप्त इतिहास

(BRIEF HISTORY OF INCOME-TAX IN INDIA)

आय-कर का इतिहास

(A) स्वतन्त्रता से पूर्व की स्थिति

1. आय-कर का आरम्भ, 1860
2. आय-कर अधिनियम, 1886
3. आय-कर अधिनियम, 1918
4. आय-कर अधिनियम, 1922

(B) स्वतन्त्रता के बाद की स्थिति

1. आय-कर अधिनियम, 1961

आय-कर की गणना का आधार या विधि

(PROCESS OF COMPUTING INCOME-TAX)

इस अध्याय के प्रारम्भ में यह बताया गया है कि आय-कर किसी करदाता की गत वर्ष की शुद्ध कर-योग्य आय पर लगाया जाता है। अतः आय-कर की गणना हेतु सर्वप्रथम इस कर-योग्य आय की गणना करना आवश्यक है। एक व्यक्ति की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को निम्नलिखित पाँच शीर्षकों (Heads) में रखा जाता है :

- (अ) 'वेतन' से आय (Income from Salary)
- (ब) 'मकान-सम्पत्ति' से आय (Income from House Property)
- (स) 'व्यवसाय अथवा पेशे' के लाभ (Profits and Gains of Business or Profession)
- (द) 'पूँजी लाभ' से आय (Income from Capital Gains)
- (य) 'अन्य साधनों' से आय (Income from Other Sources)

उपर्युक्त पाँचों शीर्षकों का विस्तृत वर्णन क्रमशः आगे के अध्यायों में किया जायेगा।